केस स्टडी-16/2024

जारी तिथि : 01.08.2024

C/Order

घटनाक्रम:- दिनांक 24.07.24 को ट्रेन क्रमांक 19302, लोड: 22 बोगी (LHB), लोको क्रमांक 30660, LGD के साथ आमला-इटारसी सेक्शन में कार्य करते समय सेक्शन आमला-बरसाली के बीच कर्मीदल को किलोमीटर 865/21-15 पर 30 Kmph का सतर्कता आदेश दिया गया था। कर्मीदल द्वारा गाड़ी संचालन के दौरान सतर्कता आदेश का पालन नहीं किया गया।

संभावित कारण:-

- कर्मीदल द्वारा सतर्कता आदेश (T-409) को प्राप्त करने के उपरांत सतर्कता आदेश का ध्यानपूर्वक अवलोकन न करना।
- सहायक लोको पायलट द्वारा सतर्कता आदेश वाले सेक्शन में प्रवेश के पूर्व लोको पायलट को सूचित न करना।
- कर्मीदल द्वारा उपरोक्त सतर्कता संकेतक बोर्ड व 30 Kmph गति बोर्ड को देखने में विफल रहना।

उपरोक्त घटना से सबक:-

- ✓ कर्मीदल ऑन ड्यूटि करने के बाद सतर्कता आदेश को लॉबी से लेकर पूरा पढ़कर समझेगा तथा स्पीड पर △ का चिन्ह लगाकर लाल पेन से हाइलाइट करेगा। कोई संशय होने पर तुरंत लॉबी सुपरवाइजर को अवगत करायेगा तथा समाधान करेगा।
- ✓ लाइन पर सतर्कता आदेश में चिन्हित KM वाले सेक्शन में प्रवेश करने से पहले सहायक लोको पायलट सतर्कता आदेश कॉल आउट करके लोको पायलट को ध्यान दिलाएगा।
- ✓ सतर्कता आदेश से करीब 1 से 2 KM पहले (कॉशन बोर्ड से पहले) कॉशन के बारे में लोको पायलट / सहायक लोको पायलट आपस में ज़ोर से आवाज़ देकर सतर्कता आदेश में लिखे गति को कॉल आउट करेंगे।
- ✓ लोको पायलट ट्रेन को उचित दूरी से कंट्रोल करना प्रारंभ करेगा, यदि ऐसा न करने पर ALP बेहिचक RS वाल्व खोल देगा।
- ✓ सतर्कता KM △ निकलने के बाद सतर्कता आदेश पर सही (✓) का चिन्ह उस KM के सतर्कता आदेश पर अंकित करेंगे।

(निखिल सिंह)
वरि.मं.वि.इंजि.(परि.),नागपुर

सभी मुख्य लोको निरीक्षक/मुख्य लोको नियंत्रक उपरोक्त निर्देशों को सभी लोको रनिंग कर्मचारियों को अवगत कराएं एवं कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित करें।